

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(51)/ग्रावि/ग्रुप-5/ PMAY-G/प्रगति/2019-20 जयपुर, दिनांक 28 अगस्त, 2019

जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान।


विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत पंचायति समिति स्तर पर लाभार्थियों के आयोजित प्रशिक्षण शिविर की सूचना भिजवाने के क्रम में।

प्रसंग :- विभागीय समसख्यक पत्र दिनांक 09.08.2019

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत आवासों की गुणवत्ता एवं समय पर आवास पूर्ण करने के क्रम में स्वीकृति के 15 दिवस के भीतर लाभार्थियों के प्रशिक्षण आयोजित कराने के क्रम में विभागीय प्रासंगिक पत्र दिनांक 09.08.2019 द्वारा योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 के लक्ष्यानुसार शत प्रतिशत स्वीकृतियां 15 अगस्त, 2019 तक जारी करवाकर, लाभार्थियों को प्रथम हस्तान्तारित कराने तथा दिनांक 24.08.2019 व 31.08.19 को ग्राम पंचायतों पर विशेष कैम्प आयोजित कराने, जिसमें लाभार्थियों को योजना से संबंधित समस्त जानकारी तथा अन्य योजनाओं से कन्वर्जेंस के तहत देय अतिरिक्त लाभ उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त संबंध में योजनान्तर्गत लाभार्थियों के आयोजित प्रशिक्षणों की सूचना दिनांक 02.09.2019 तक निम्न प्रारूप में प्रारूप में भिजवाने का श्रम करें:-

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	लाभार्थी प्रशिक्षण का दिनांक	लाभार्थियों की संख्या

भवदीय

(कैलाश चन्द मीना)
विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।


अधीक्षण अभियंता, ग्रावि